संख्या-242/2022/5777/नौ-5-2022-42बजट/2020

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक(अमृत),
राज्य मिशन निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 31 जनवरी, 2023

विषयः अमृत योजना के (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) सैप वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत कानपुर सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 के गणेश उद्यान के अपस्ट्रीम के ट्रंक सीवर के जीर्णोद्धार के कार्य से संबंधित प्रायोजना के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक(अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय के पत्र संख्या-एसएमएमयू/8202/542(1)/2022, दिनांक 02.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमृत योजना के सैप वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत कानपुर सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 के गणेश उद्यान के अपस्ट्रीम के ट्रंक सीवर के जीर्णोद्धार के कार्य से संबंधित प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-315/2020/1708/नौ-5-2021-42बजट/2020, दिनांक 09.03.2021 द्वारा निर्धारित लागत रूपये 8764.47 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 1279.40 लाख का उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत द्वितीयकिश्त के रूप में केद्रांश रूपये 1052.10 लाख, राज्यांश रूपये 1157.52 लाख तथा सेंटेज रूपये 329.18 लाख कुल **रूपये 2558.80 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ अठठावन लाख अस्सी हजार मात्र)** का व्यय किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय के नोडल खाते में अमृत योजना के अन्तर्गत उपलब्ध/जमा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा।

(2) अमृत योजना के अन्तर्गत सैप-1, सैप-2, सैप-3 के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त हुई है, जो Fungible है तथा उक्त धनराशि को स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष योजनान्तर्गत कार्यो को पूर्ण करने के लिए उपभोग किया जा सकता है।

(3) अमृत योजना के तहत राज्य सरकार तथा भारत सरकार के अंश के साथ-साथ निकाय अंश की धनराशि की आवश्यकता भी होती है, जिसे प्रत्येक किश्त के साथ अवमुक्त करने में निकायों के स्तर से कठिनाई आ रही है। उक्त के दृष्टिगत निकाय अंश को परियोजना के पूर्ण होने के पूर्व निकाय द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त/उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) अवमुक्त सेन्टेज की धनराशि कार्यदायी संस्था को नियमानुसार इस प्रकार उपलब्ध करायी जाय कि इसका संबंध व्यय से हो जाय। इस हेतु पहली यू.सी. जमा होने पर प्रथम किश्त का सेन्टेज, दूसरी यू.सी. जमा होने पर द्वितीय किश्त का सेन्टेज एवं प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट जमा होने पर अन्तिम किश्त का सेन्टेज देय होगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय अमृत योजना की गाइड लाइन्स एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाय।

(6) उक्त परियोजना लागत में सम्मिलित निकाय अंश की धनराशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जायेगी।

(7) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयबद्ध रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) परियोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के सम्परीक्षित लेखे का विवरण मिशन निदेशक(अमृत), नगर निकाय, उ0प्र0 द्वारा रखा जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

Akhileshwar Singh-AMRUT-2021-G.O.

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) पीएफएडी/व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 द्वारा विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
31.01.2023
(**कल्याण बनर्जी**)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-242/2022/5777(1)/नौ-5-2022-42बजट/2020, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
8- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कानपुर।
9- नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता (नागर)/पीडीएमसी, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
12- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
14- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु

आज्ञा से,
31.01.2023
(**कल्याण बनर्जी**)
संयुक्त सचिव।